Name and Number of RC: - RC2- Family, kinship and Marriage

भारतीय वैवाहिक व्यवस्था एवं बदलते आयाम
डॉ0 ध्रुव दीक्षित, केशरवानी कॉलेज, जबलपुर, मध्यप्रदेश

LMI – 1898

भारतीय संस्कृति का निर्माता, मैलिनोवस्की संस्कृति को मानव आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन मानते हैं। मानव की विभिन्न आवश्यकताओं में यौन संतुष्टी एक आधारभूत आवश्यकता है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए विवाह संस्था का जन्म हुआ। मनु स्मृति में साधारणतया विवाह का अर्थ है ''उद्वह'' अर्थात वधु को घर ले जाना। विवाह के संबंध में स्पष्ट है कि जिन साधनों द्वारा मानव समाज या उन सम्बन्धों का नियमन करता है उन्हें विवाह की संज्ञा देते हैं। पूर्व में परिवार की स्थापना में जिन पांच प्रकार के विवाहों का उल्लेख हमें धर्मशास्त्रों में पढ़ने मिलता है आज वह वैवाहिक व्यवस्था अब नहीं है। साधारणतया विवाह के परम्परागत तरीकों में मशीनीकरण औद्योगीकरण के परिणामों नगरीकरण की प्रक्रिया का तेज होना व वैश्वीकरण के प्रभाव के फलस्वरूप सम्पूर्ण सामाजिक ताना–बाना परिवर्तन की स्थिति में हैं, इससे वैवाहिक व्यवस्था भी अछूती नहीं है। यह बात सत्य है कि मानव सभ्यता के विकास के साथ–साथ वैवाहिक संस्था में परिवर्तन होता रहा है। मगर पिछले दशकों में जो परिवर्तन की लहर भारतीय सामाजिक व्यवस्था में परिलक्षित होती है एवं जिस परिवार की स्थापना होती है वहां सिवाय कुंण्ठा मानसिक स्थिति का खराब हो जाना एवं सदैव पति–पत्नि के बीच में कलह बना रहना जैसी स्थितियां विद्यमान होती है। वर्तमान समय में तलाक में वृद्धि हो रही है जो परिवार के हित में नहीं है। विवाह के माध्यम से समाज में बच्चों के पालन–पोषण का विश्वसनीय नियंत्रण मिल जाता है, इस प्रक्रिया के दौरान समाजीकरण का हस्तांतरण एक पीढ़ी में होता है। समाज का ढांचा जहां वैवाहिक संबंधों की परम्परागत मूल्यों की व्यवस्था पर टिका हुआ था। वह परिवर्तनशील स्थिति में है। मानसिक विकृतियों एवं व्यर्थ की वैमनस्यता एवं कटुता इन वैवाहिक सम्बन्धों में आये परिवर्तन का एक पक्ष है। व्यक्तिवादिता, उदारवाद आदि के प्रसार के कारण परिवार में अहम्वादी एवं स्वार्थी प्रवृत्तियों का बोलबाला हो रहा है, युवाओं की आकांक्षा एवं जीवन शैली में तीव्र बदलाव आने के कारण उनका परम्परागत मूल्य व्यवस्था से तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। यही कारण है कि वैवाहिक व्यवस्था नये मूल्यों की तलाष में प्रभवित हो रही है। पूर्व में केन्द्रीय परिवार होने की वजह से सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों व्यक्ति ताल–मेल बैठाकर अपना जीवन–यापन करता था। नयी सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत नये मूल्यों का आ जाना परिवर्तित परिस्थितियों में वैवाहिक स्थिति को बदलकर रख दिया है। यह आने वाले कल के लिए उचित संकेत नहीं हैं। इस विषय पर समाज शास्त्रियों को सोचने की आवश्यकता है।

Name and Number of RC: - RC2- Family, kinship and Marriage

भारतीय परिवारों के नातेदारी व्यवस्था में समकालीन परिवर्तन
प्रो. प्रमोद कुमार शर्मा, *अध्यक्ष, समाजशास्त्र अध्ययनशाला, पं.र.स्सु.वि., रायपुर, (छ.ग.)*

LMI- 2621

प्रस्तुत शोध पत्र ''भारतीय परिवारों के नातेदारी व्यवस्था में समकालीन परिवर्तन'' विषय पर आधारित है। नातेदारी संबंध रक्त एवं विवाह पर आधारित होता है। परंपरागत रूप से

भारतीय समाज एवं जनजातीय समुदायों में नातेदारी व्यवस्था का प्रचलन रहा है। भारतीय समाज में नातेदारी संबंधों के आधार पर प्रस्थिति एवं भूमिका निर्धारित हुआ करता रहा है। भारतीय समाज में परंपरागत रूप से संयुक्त परिवार के महत्वपूर्ण कार्यों जैसे बच्चों के विवाह, जन्मोत्सव, पारिवारिक सदस्यों के मृत्यु संस्कार,परिवार के सामाजिक आयोजनों के निर्णय एवं सलाह मसविरा आदि में नातेदारों की महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी। वर्तमान में नगरीकरण पाश्चात्यीकरण, आधुनिक षिक्षा तथा व्यक्तिवादिता एवं संयुक्त परिवार के रूपांतरण के परिणामस्वरूप परिवारों के नातेदारी व्यवस्था में समकालीन परिवर्तन परिलक्षित होने लगे हैं। पूर्व में नातेदारों द्वारा परिवार के विधवा, अनाथों को संरक्षण देने का कार्य किया जाता था, आजकल यह एकदम विलुप्त सा होता जा रहा है। पूर्व में द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थक नातेदारों को महत्व दिया जाता था परन्तु वर्तमान में प्राथमिक नातेदारों को ही महत्व दिया जाने लगा हैं।

वर्तमान समय में परिवारों में नातेदारी व्यवस्था में परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है यह परिवर्तन किस प्रकार का है इसे ज्ञात करने के लिए निम्न उद्देश्यों को आधार माना गया है:–

(1.) परिवारों के नातेदारी व्यवस्था में परिवर्तन को ज्ञात करना ।

(2.) नातेदारी व्यवस्था में परिवर्तन के कारकों को ज्ञात करना ।

अध्ययन पध्दति :– प्रस्तुत शोध पत्र विवरणात्मक तथा द्वितीयक तथ्यों एवं स्वंय के अनुभव जन्य तथ्यों पर आधारित है।

Name and Number of RC: - RC2- Family, kinship and Marriage

भारतीय पारिवारिक व्यवस्था एवं बदलते आयाम

डॉ0 गजानन मिश्र, *महात्मागांधी महाविद्यालय, करेली, मध्यप्रदेश*

परिवार एक ऐसा समूह है,जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया है। परिवार के सम्बन्ध में मैकायवर एवं पेज का कथन इसकी यर्थाथता को सिद्ध करता है, परिवार पर्याप्त दोनों सम्बन्धों पर आधारित एक ऐसा समूह है जो बच्चों को जन्म देकर उनके पालन–पोषण की व्यवस्था करता है । परिवार एक सार्वभौमिक तथ्य है । परिवर्तन का परिणाम है कि परिवार भी इससे अछूता नहीं है । 1848 की औद्योगिक क्रांति व नगरीयकरण की प्रक्रिया का तेज हो जाना पारिवारिक सम्बन्धों को बदलने में अहम भूमिका का निर्वहन करते हैं । इन दोनों प्रक्रियाओं के परिणामतः गांव से लोग अपने परिवारों को छोड़कर शहरों की ओर पलायन करने लगे । इससे संयुक्त परिवार टूटे व एकाकी परिवारों का जन्म हुआ । साथ ही वर्तमान में वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने इन परम्परागत परिवारों में सामाजिक मूल्यों को बदलके एक नई व्यवस्था की ओर संकेत दिया । समाज में व्यक्तिवादी सोच ने नवाचार जैसी प्रक्रिया को जन्म दिया । इससे नये सांस्कृतिक, सामाजिक व धार्मिक मूल्यों को समाज में स्पष्ट देखा जा सकता है । आज इस मिथक को लोग सामाजिक तौर पर स्वीकार करने लगे हैं कि प्रत्येक परम्परा कल्याणकारी नहीं होती। वर्तमान सामाजिक व्यवस्था परिवर्तनीय स्थिति में है और यह नवीन मूल्यों की स्थापना व पुरातन मूल्यों के बीच में एक विभाजन रेखा खींचती है । इससे समाज में रह रहे व्यक्ति अपना सामंजस्य नहीं बैठाल पाते और पिछड़ जाते हैं । निजता को नकारने वाला 'परता' को स्वीकार नहीं कर सकता । जो समाज अपने पारिवारिक मूल्यों का संरक्षण नहीं करता वह अपनी ग्रहणषीलता को भी खो देता है । ग्राहता भी, ग्राहता खोना खुद को वर्तमान

और भविष्य से अलग कर लेना होता है । अतः हम नवीन सामाजिक मूल्यो को स्वीकार तो करें पर पुरातन को न भूलें ।

RC- 02 Family , Marriage and kinship

सामाजिक मीडिया और भारतीय समाज

डॉ. हेमलता बोरकर, ***सहा. प्राध्यापक, समाजशास्त्र अध्ययन शाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर***

LMI NO. -2932

समकालीन समाज मे ं सामाजिक मीडिया का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। एक सर्वेक्षण के अनुसार विश्व मे लगभग 1 अरब 28 करोड. व्यक्ति फेसबुक, 15 करोड. व्यक्ति इंस्टाग्रामए 20करोड़ व्यक्ति लिंक्डहन, 3 करोड़ माहस्पेस, एवं 9 करोड व्यक्ति ट्वीटर का प्रयोग प्रतिदिन करते है। विष्व मे ं लगभग 200 सोशल नेटवर्किंग साइट्स उपलब्ध हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि पिछले दशक से सोशल मीडिया के यूजरों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। सोशल मीडया के द्वारा आम जनता अपने विचारो को आसानी से सफलतापूर्वक जन सामान्य तक पहुंचाने में सफल हो रही है। सोशल मीडिया का जन्म 1995 से हुआ है, सर्वप्रथम कालेजों एवं मिलिट्री में संवाद को बढ़ाने के लिए किया गया था, इसके लिए क्लास मेट्स डॉट कॉम की साइट का शुभारंभ किया गया। 1996 में बोल्ट डॉट कॉम तथा 1997 में एशियन एवेन्यू नाम की साइट शुरु की गयी । 2004 में फेस बुक एवं ट्वीटर को डेवलप किया गया। 2005 में पूरे विश्व में सभी नेटवर्किंग साइट का शुभारंभ किया गया। वर्तमान में सोशल मीडिया ने समाज मे ं क्रांति ला दिया है। सोशल मीडिया के जरिये समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों को सरलता से रख पाने में समर्थ हो रहा है। 19 वीं सदी के आसपास लोगों को अपने परिवार के सदस्यो ं से मेल मिलाप करने एवं संवाद करने मे ं परेशानियों का सामना करना पडता़ था व महीनो सालों तक किसी भी प्रकार का संपर्क कर पाने में असमर्थ होते थे परंतु 21वीं शताब्दी के लगभग लोगो को अपनों का हाल चाल पूछने लोगों से संवाद बनाये रखने में आसानी होने लगी अब वे अपनी इच्छानुसार प्रत्येक व्यक्ति से संवाद बनाये रख सकते है। सोशल मीडिया ने जहाँ इस प्रकार की सुविधा का विस्तार किया वहीं नकारात्मक प्रभाव भी दिखाई देने लगा है। इस शोध अध्ययन मे ं सामाजिक मीडिया का समाज पर सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव को जानने का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोतो ं पर आधारित है। इस अध्ययन हेतु 250 उत्तरदाताओं का चयन दैव निर्देशन के माध्यम से किया गया है।

RC- 02 Family , Marriage and kinship

वैवाहिक सम्बन्ध व्यवस्थापन में परिवार न्यायालय की भूमिका

डा0 कृष्ण कुमार, ***असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, पी.पी.एन. कालेज, कानपुर, उत्तरप्रदेश***

LMI – ***2753***

प्रस्तुत प्रपत्र वैवाहिक सम्बन्ध व्यवस्थापन में परिवार न्यायालय की भूमिका षीर्षक पर आधारित समाजशास्त्री विश्लेषण की सीमा में सीमांकित है। दामपत्य जीवन में समायोजन एवं तादात्म में एक अभाव तमाम वैवाहिक सम्बन्धो से सम्बन्धित समस्याओं का स्त्रोत है। दामपत्य जीवन में समायोजन की प्रकृति ही देश एवं समाज के निर्माण की आधार शिला तय करती है। परिवार की संकल्पना ही समायोजनात्मक दामपत्य सम्बन्धों पर टिकी है। इसके अभाव में पारिवारिक सम्बन्ध प्रभावित होते है और परिवार टूटने के कगाार पर पहुॅच जाता है। वर्तमान समय में तमाम परिवर्तनकारी शक्तियों के प्रभाव से दामपत्य जीवन में सम्बन्धों की मधुरता प्रभावित हुई है। वैवाहिक सम्बन्धो में समायोजन का अभाव तमाम वैवाहिक सम्बन्ध जन्य समस्यायें उत्पन्न करता है। कभी–कभी ये समस्यायें इतनी विकराल रूप ले लेती है कि वैवाहिक सम्बन्धो की स्थिरता को चुनौती देते है और व्यक्ति तमाम समायोजन जन्य प्रसार असफल हो जाते है। उक्त दशा में परिवार न्यायालय उनकी दृष्टि में एक विकल्प बनता है जहॉ समस्या से निजात पाने की उत्कृष्ट अभिलाषा से व्यक्ति जाता है। प्रस्तुत प्रपत्र में निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्वेषण पर आधारित है।

1. पति – पत्नी के दाम्पत्य जीवन में समन्वयकारी तत्वों का अवलोकन करना।

2. वैवाहिक सम्बन्ध व्यवस्थापन में परिवार न्यायालय की भूमिका सम्बन्धी तथ्यों का विश्लेषण करना।

3. परिवार न्यायालय द्वारा विवाह – विच्छेद को हतोत्साहित करने वाली स्थितियो का अध्ययन करना।

4. पारिवारिक कलह का बच्चों के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाली स्थितियों का विश्लेषण करना।

5. महिलाओं की स्थिति में आये परिवर्तनों में परिवार न्यायालय की भूमिका का अवलोकन करना।

6. विवाह – विच्छेद के लिए उत्तरदायी स्थितियों का अध्ययन करना।

Name and Number of RC: - RC2- Family, kinship and Marriage

विवाह विच्छेद – परिवर्तित स्थिति एवं अध्ययन (बालाघाट जिले के विषेष संदर्भ में)

डॉ. निधि ठाकुर *सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र, शासकीय कमला नेहरू कन्या महाविद्यालय, बालाघाट (म.प्र.)*

LMI – 2682

विवाह एक सार्वभौम सामाजिक तथा सांस्कृतिक संस्था है। यह वह आधार स्तम्भ है जिसके द्वारा मानव का अस्तित्व निर्भर है। यह संस्था भिन्न–भिन्न रूप में प्रत्येक समाज में पायी जाती है जो समाज की निरन्तरता का आधार है। संतान की उत्पत्ति जन्म पर आधारित है। वस्तुतः विवाह संस्थागत व्यवस्था है जो स्त्री पुरूष को पति–पत्नि के रूप में परस्पर सहयोग करने की स्वीकृति प्रदान करती है।

विवाह के स्थायित्व का अर्थ वैवाहिक संबंधों में स्थिरता से है, अर्थात् यदि वैवाहिक बन्धन बिना किसी बाधा के एक सफल वैवाहिक जीवन के रूप में निरन्तर चलते रहते है तो यह माना जाता है कि विवाह में स्थायित्व पाया जाता है। समाज में विवाह विच्छेद की दर में वृद्धि के कारण विवाह के स्थायित्व का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया है। भूमिका संघर्ष विवाह के अस्थायित्व के लिये उदारदायी है जबकि पति–पत्नि द्वारा अपनी–अपनी भूमिकाओं को उचित रूप से निर्वहन करना विवाह के स्थायित्व को प्रोत्साहन देता है।

प्रायः विवाह का अस्थायित्व का प्रतिफल विवाह विच्छेद के रूप में दिखाई देता है। अतः विवाह विच्छेद वे कारण है जो विवाह के अस्थायित्व के लिये उत्तरदायी माने जाते है।
विवाह विच्छेद की निरंतर वृद्धि के कारण को जानने हेतु बालाघाट जिले के 10 दम्पत्ति का अध्ययन किया गया जिनका न्यायालय द्वारा विवाह विच्छेद हो गया है। जिनमें से पांच दम्पत्ति नगरीय एवं पांच दम्पत्ति ग्रामीण क्षेत्र के निवासी रहे हैं। उद्देश्यपूर्ण निदर्शन के द्वारा उक्त दम्पत्तियों का चयन कर साक्षात्कार द्वारा सूचना प्राप्त की गयी तथा द्वितीयक स्त्रोत से भी जानकारी प्राप्त कर विवाह विच्छेद के कारणों को जानने का प्रयास किया गया। अध्ययन के पश्चात् विधि विशेषज्ञों एवं परिवार परामर्श केन्द्र से कारण एवं सुझाव प्राप्त किये गये जिससे विवाह विच्छेद की बढ़ती दर तथा परिवर्तित दृष्टिकोण की जानकारी प्राप्त हो सके।

Name and Number of RC: - RC2- Family, kinship and Marriage

विश्वविद्यालयीन छात्राओं में परिवार एवं विवाह के प्रति बदलता दृष्टिकोण
डॉ. महेश शुक्ला, ***प्राध्या. समाजशास्त्र, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म. प्र.),*** **msociology@rediffmail.com**

किसी भी समाज के युवा उस समाज की संस्कृति के संवाहक होते हैं। समाज के सांस्कृतिक विरासत का भार उन्ही के कंधों पर होता है, वे चाहें तो उस पहचान को आगे ले जायें या उसके मौलिक आचरण में बदलाव ला दें। भारतीय समाज परम्परागत समाज रहा है। यहां की संस्कृति हिन्दू दर्शन से ज्यादा प्रभावित है। यह निरंतरता आज भी बनी हुई है। समय के साथ भारतीय समाज की पारंपरिक निरंतरता में बदलाव के मानक दृष्टिगोचर होने लगे हैं। परंपरागत भारतीय समाज में आजादी के पहले इतना खुलापन नहीं था जितना आजादी के साथ पश्चिमी संस्कृति के प्रवेश के कारण हुआ। पश्चिमी चकाचौंध ने हमारी संस्कृति की मौलिकता को प्रभावित किया फलस्वरूप हमारे युवा हमारी परंपरागत संस्कृति की जड़ों से कटकर कृत्रिम जीवन जीने की होड़ पाल लिये जिसके कारण हमारे पारंपरिक मानकों में तेजी के साथ बदलाव हुआ। कुछ बदलाव तो ग्राह्य थे लेकिन पश्चिमी चरित्र का प्रवेश हमारी मूल संवेदना और मूल्यों के लिये घातक हो रहे हैं, यही कारण है कि आज युवाओं की सोच में वैयक्तिकता ज्यादा और सामूहिकता कम दिखाई देती है।
प्रस्तुत शोध पत्र विश्वविद्यालयीन छात्राओं पर केन्द्रित है। आजादी के बाद भारतीय छात्राओं के अन्दर वैचारिक बदलाव की निरंतरता आयी है, क्योंकि आज शिक्षा और बदलते सांस्कृतिक परिवेश से वे अछूती नहीं हैं। प्रस्तुत अध्ययन में इन युवा छात्राओं से परिवार, विवाह से जुड़े कई अनछुयें पहलुओं पर प्रश्न किये गये और देखा गया कि सामाजिक संरचना की एक अहम हिस्सा माने जाने वाली इन छात्राओं में पारंपरिक मूल्यों और मानकों के प्रति कितना वैचारिक बदलाव आ गया है। यह वैचारिक बदलाव कितना सकारात्मक होगा या नकारात्मक? इन तथ्यों का विश्लेषण इस शोध पत्र में किया जायेगा।

बदलते परिदृश्य में अन्तर्जातीय विवाह की प्रासंगिकता : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन
डॉ. सरीता सिंह, , ***स. आर. जी. पी.जी. कालेज, डोभी, उत्तरप्रदेश***
LMI- ***2084***

विवाह एक धार्मिक संस्कार होने के साथ हमारे समाज का एक यथार्थ है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। विवाह दो विषमलिंगियों का मिलन नहीं, वरन् दो परिवारों का सुन्दर समागम है। विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अनुसार अंतर्जातीय विवाह वैध है लेकिन व्यवहार में अभी भी नगण्य है। इसके लिये कहीं न कहीं हमारे सामाजिक मूल्य, मानदंड, रुढ़िगत सोच एवं परम्परायें उत्तरदायी हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्तरोत्तर उन्नति के बावजूद भी अंतर्जातीय विवाह के प्रति हमारी सोच अभी भी संकुचित है। सवाल है कि अंतर्जातीय विवाह से दहेज, घरेलू हिंसा, जातिगत भेद, लिंगभेद जैसे समस्याओं से निजात पाया जा सकता है? समानता एवं भाईचारा के आदर्श को साकार किया जा सकता है? क्या युवापीढी की भूमिका अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने में कारगर हो सकती है? जैस`अनेकों सवालों के जवाब ढूढ़ने के प्रयास किये गये हैं। इस संदभ में प्रो0 घुर्ये का यह कथन आज भी कितना प्रासंगिक है कि ''अंतर्जातीय विवाह रक्तमिश्रण, पैतृकता के सम्बन्धों और राष्टीय एकता को मजबूत करने के लिए प्रभावशाली साधन है।'' प्रस्तुत शोध–पत्र प्राथमिक एवं द्वितीयक तथ्यों पर आधारित है। प्राथमिक तथ्यों के संकलन हेतु साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है। अध्ययन हेतु कुल 100 शिक्षार्थियों का चयन सोद्देश्य निदर्शन के माध्यम से किया गया है। प्रस्तुत शोध–पत्र आनुभविक एवं वर्णनात्मक है। प्रस्तुत अध्ययन के माध्यम से यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया है कि आज के बदलते परिदृश्य में अन्तर्जातीय विवाह कितना प्रासंगिक है।

Name and Number of RC: - RC2- Family, kinship and Marriage

मध्यप्रदेश राज्य में जनजातीय महिलाओं में प्रजनन स्वास्थ्य की स्थिति

डॉ. तृप्ति मांझी, जनजातीय अध्ययन विभाग, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, triptimajhi@gmail.com

LMI- 72

मानव जाति के अस्तित्व एवं जन्म के लिये महिलाओं का प्रजनन स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। किसी भी समुदाय में प्रजनन स्वास्थ्य के अन्तर्गत मासिक चक्र, गर्भावस्था, प्रसव एवं प्रसवोपरांत आदि स्थितियों पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारको का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मुख्य रूप से ग्रामीण व जनजातीय महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य के अन्तर्गत सामाजिक–सांस्कृतिक कारकों, प्रथाओं, परम्पराओं, निषेधों एवं क्रिया व्यवहारों को स्वास्थ्य निर्धारक के रूप में देखा जा सकता है। महिला की आर्थिक व शैक्षणिक स्थितियों को भी प्रजनन स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाले संकेतक के रूप में देखा जा सकता है।

प्रस्तुत शोध पत्र जनजातीय समुदाय में प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सकीय व्यवहारों, गर्भावस्था, प्रसव एवं प्रसवोपरांत स्वास्थ्य देखभाल की स्थितियों को ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। इन स्थितियों में आधुनिक संस्थागत स्वास्थ्य सेवाओं की स्वीकृति तथा उनकी शैक्षणिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाओं के प्रभावों को भी ज्ञात किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन मध्यप्रदेश राज्य के जबलपुर संभाग के जनजातीय जनसंख्या संकेन्द्रित डिण्डोरी जिले में संचालित किया गया है, जिसमें लगभग 65.5 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है। जिसमें जनजातीय बाहुल्य जनसंख्या से मांझी जनजातीय समुदाय पर अध्ययन केन्द्रित है। सूचनाओं एवं तथ्यों को एकत्रित करने के उद्देश्य से महिलाओं को न्यादर्श के रूप में चयनित करते हुए सूचनाएं प्राप्त की गयी है। डिण्डोरी

जिले में मांझी जनजाति के कुल 592 परिवारों में से 300 प्रजननशील महिलाओं को उत्तरदात्रियों के रूप में चयनित कर जानकारी एकत्रित की गई हैं।

मुख्य शब्द – मातृ मृत्यु, गर्भावस्था, सामाजिक–सांस्कृतिक कारक, चिकित्सकीय व्यवहार, स्वास्थ्य सेवाओं की स्वीकृति

Name and Number of RC: - RC2- Family, kinship and Marriage

बाल स्वास्थ्य र्निधारण एंव पारिवारिक देखभाल के प्रतिमान

रीतू सिंह, शोध छात्रा, *समाजशास्त्र एवं समाज कार्य विभाग, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, मध्यप्रदेश*

बच्चें हमारे भारत देश के भविष्य तथा कीमती संसाधन है। किसी राष्ट्र की तरक्की और भविष्य की जानकारी के लिए कहा जाता है कि किसी व्यक्ति विशेष के परामर्श की जरूरत नहीं है । इससे ज्यादा आसान है कि उस राष्ट्र के बच्चों के मुस्कुराते चेहरों को देखो बच्चें ही राष्ट्र का दर्पण है। बच्चों से जुड़ी प्रभावी राष्ट्रीय नितियां और योजनाएं एक निर्णयात्मक योगदान प्रदान करते है। सभी लम्बी अवधि के विकास की गतिविधियों को और विशेष रूप से उन योजनाओं की सफलता में जिनका उद्देश्य कम आय वर्ग वाले परिवार के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने मे है वे सभी राष्ट्रीय क्षमता और आत्मनिर्भरता के र्निमाण करती हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल शिशु मृत्यु दर नवजात शिशु मृत्यु दर के तहत राष्ट्रीय स्तर पर 69.3 प्रतिशत है जो कि शहरों में 61.9 प्रतिशत को अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में 70.6 प्रतिशत है। लेकिन अभी भी ग्रामीण भारत में बच्चें की देखभाल में कमी है । इसलिए इस शोध पत्र में बच्चों की देखरेख परिवार के मुद्दो और नीतियों के आपस कें रिश्तो को समझाने हेतु कार्य किया गया है।

Name and Number of RC: - RC2- Family, kinship and Marriage

बुंदेली समाज की परिवार व्यवस्था एवं उसका बदलता परिवेश, (सागर नगर के विशेष संदर्भ में)

डॉ. रानू चौबे *अतिथि विद्वान समाजशास्त्र शासकीय महाविद्यालय गढ़ाकोटा, सागर (म.प्र.)*

परिवार एक आधारभूत सामाजिक ईकाई, है व्यक्ति के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व मनोवैज्ञानिक विकास में परिवार का अमूल्य योगदान होता है। भारतीय समाज की तरह ही बुन्देलखण्ड क्षेत्र में दो प्रकार की पारिवारिक व्यवस्था पाई जाती है। एकाकी परिवार एवं संयुक्त परिवार बुन्देलखण्ड में आदिकाल से संयुक्त परिवार की प्रथा रही है। बुन्देलखण्ड की पारिवारिक व्यवस्था की अपनी विशिष्टता एवं भिन्नता रही है। बुन्देलखण्ड के वैवाहिक रीति–रिवाज भारतीय वैवाहिक रीति–रिवाजों से मिलते जुलते होने पर भी निजी रुप में भिन्नता लिये है। इन रीति–रिवाजों का प्रचलन ग्रामीण अंचलों में अधिक होता है जबकि शहरी क्षेत्रों में रीति–रिवाज लुप्त होते जा रहे है, बुन्देलखण्ड में विवाह संस्कार के पूर्व कुंडली मिलान किया जाता है मिलान के पश्चात लेन–देन तय होता है और फिर विवाह तय होता है, विवाह संस्कार की पुरानी परम्परा में वर्तमान समय में परिवर्तन होने लगा है। समय के साथ संयुक्त परिवार एकल परिवार में परिवर्तित होते गये, पारिवारिक परम्पराओं

में परिवर्तन होने लगा है। इस शोध पत्र में परिवार की बदलती परम्परायें, परिवार के बदलते स्वरुप एवं उनके प्रतिमानों पर पुनर्विचार करने का प्रयास हैं।

Name and Number of RC: - RC2- Family, kinship and Marriage

नगरीय संकुल में अकेले रह रहे वृद्ध व्यक्ति

डॉ. (श्रीमति) इन्दु ठाकुर, *सहा. प्राध्यापक, हितकारणी महिला महाविद्यालय, जबलपुर*

LMI – 1919

आज संपूर्ण विश्व में वृद्धों की जनसंख्या आशातीत रूप से बढ़ी है साथ ही साथ रोजगार व्यवसाय एवं आजीविका की बदलती प्रकृति ने परिवार की संरचना में व्यापक परिवर्तन आया है तथा वृद्ध माता–पिता अकेले जीवन जीने को बाध्य हो रहे हैं। इस प्रक्रिया में अनेकानेक परिस्थितियों एवं समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रस्तुत पत्र नगरीय संकुल में निवासित अकेले रह रहे वृद्ध दम्पत्ति (माता–पिता) के जीवन की कतिपय स्थितियों का विश्लेषण करता है जिसमें –

1. आसन्न समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण
2. सन्तानों से सम्पर्क की बारम्बारता
3. सन्तानों से अपेक्षायें
4. दम्पतियों का पारस्परिक व्यवहार

अध्ययन हेतु जबलपुर शहर के विभिन्न नव विकसित आवासीय परिसरों (कालोनियों) में 100 अकेले रह रहे वृद्ध दम्पत्तियों का चयन उद्देश्यपूर्ण आधार पर किया गया है। समंक संकलन हेतु प्रचलित प्रामाणिक समाजशास्त्रीय विधियों एवं पद्धतियों का प्रयोग किया गया है।

मुख्य अवधारणायें – वृद्ध व्यक्ति, अकेले निवासित दम्पत्तिए पारिवारिक परिस्थितियां एवं व्यवहार